न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— दीपक चंदन, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 09/2024

1. ओमप्रकाश पुत्र भादरमल जाति जाट निवासी सिरसला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
2. जयसिंह पुत्र भादरमल जाति जाट निवासी सिरसला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
3. रमेश कुमार पुत्र भादरमल जाति जाट निवासी सिरसला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

— प्रार्थी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र महावीर जाति ब्राह्मण निवासी सिरसला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. जवाहर लाल पुत्र महावीर जाति ब्राह्मण निवासी सिरसला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. बिशन लाल पुत्र महावीर जाति ब्राह्मण निवासी सिरसला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. भतेरी पत्नि महावीर जाति ब्राह्मण निवासी सिरसला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. राजपाल शर्मा पुत्र महावीर जाति ब्राह्मण निवासी सिरसला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. संदीप पुत्र महावीर जाति ब्राह्मण निवासी सिरसला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा किढवाना तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 जरिये शाखा प्रबंधक।
8. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 जरिये शाखा प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

— अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः— 09 / 2024
ओमप्रकाश बनाम कृष्ण कुमार वगै0
निर्णय दिनांकः— 06/11/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) की उप धारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनयम

—:: निर्णय ::—

दिनांक —06/11/2025...

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि—

यह कि आवेदक की कृषि भूमि हाल खसरा न0 215 रकबा 3.06 है0 वाके मौजा सिरसला में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 2.16 है0 के उतरी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी रास्ता जो वर्तमान में सिरसला से पिचानवासी काकड़ तक जाने वाले कटानी रास्ते में मिलता है को 16 फुट चौड़ा नया रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने का व मौका पर अवरूद्व होने पर खुलवाये जाने का आदेश अनावेदक न0 09 तहसीलदार सूरजगढ़ को दिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 01लगायत 03 की और से एड. संदीप मान ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थना पत्र आपत्ति पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 8 को बार बार आवाज लगाई गई जिसपर ना तो अप्रार्थीगण न ही कोई अधिवक्ता हाजिर आया। अप्रार्थीगण 4 लगायत 8 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण ने जमिन के बदले जमिन देने पर सहमती जाहीर की तथा इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074—77, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट।

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई । तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2025 / 368 दिनांक 01.08.2025 का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया की ख0न0 215 में पूर्व में कोई कटानी रास्ता नहीं है एवं ना ही कोई प्रचलित रास्ता मौके पर मौजूद है । नया रास्ता कायम करने से ख0 न0 214 में चाहे गये रास्ते की कुल लम्बाई 200×4, 800 वर्गमीटर भूमि कम होगी जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। आवेदक की कृषी भूमि ख0न0 215 वाके स्थित ग्राम सिरसला में न तो राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता है और ना ही आने जाने के लिए

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने की रिपोर्ट आयी है। भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 18.07.2025 से प्रतित होता है की ख0 न0 214 की पश्चिमी सीमा पर आम रास्ता स्थित है । ख0न0 214 की उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे 200×4, 800 वर्गमीटर में नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्ते के अलावा आवेदक के लिए अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। इस प्रकार न्यायालय भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 18.07.2025 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित ख0न0 214 की उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे 200×4, 800 वर्गमीटर में नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश::—

भूमि खेत ख0न0 215 रकबा 3.06 हैक्टर स्थित ग्राम सिरसला तहसील सूरजगढ में चाहे गये रास्ते के लिए तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट कमांक राजस्व / 2025 / 368 दिनांक 01.08.2025 के अनुसार ख0न0 214 की उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे 200×4, 800 वर्गमीटर नया रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है की रास्ते में जाने वाली भूमि बदले फसल शुदा भूमि सम्बन्धित खातेदार को दी जावें। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करें तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करें। तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(दीपक चंदन)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 06/11/2025. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(दीपक चंदन)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़